

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून, 31 जनवरी, 2022

विषय: कोविड-19 के New Variant 'Omicron' के नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/2020-DM-II(A) दिनांक 27 जनवरी, 2022 के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या: 933/USDMA/792 (2020), दिनांक 22 जनवरी, 2022 में निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है:-

1. **Night Curfew:** राज्य में Night Curfew रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
(Curfew अवधि में जिन सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को COVID Appropriate Behaviour & COVID Safety Protocols के तहत कार्य करने की छूट सलगनक-1 के अनुसार प्रदान की जायेगी);
2. **Market Opening:** समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बजार) प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक ही खुल सकेंगे।
3. राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष (Meeting Hall) आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
4. राज्य में स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क दिनांक 11 फरवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे।
5. राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी।

6. समस्त सामाजिक/ खेल गतिविधियां/ मनोरंजन/विवाह समारोह/ सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थल (बन्द अथवा खुले स्थान) के 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार, व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. राजनैतिक रैली/ धरना प्रदर्शन की दिनांक 11 फरवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
8. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway/ होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
9. होटलों में स्थित Conference Hall, Spa and Gym का उपयोग COVID Protocol के अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।
10. जो गतिविधियाँ, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबन्धित हैं, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित Indoor meeting में अधिकतम 500 व्यक्तियों या स्थान/हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत व्यक्तियों, इनमें से जो भी न्यूनतम हो, उतने ही प्रतिभागियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2022 से दिनांक 12 फरवरी 2022 तक राजनैतिक दलों को खुले स्थानों/ मैदानों पर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्तों के अन्तर्गत स्थानों/ मैदानों की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 1000 व्यक्तियों, जो भी कम हो, को प्रतिभाग करने की अनुमति होगी (संलग्नक-2)।
11. राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय (कक्षा-10, 11 एवं 12), विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि पत्रांक संख्या-27/XXIV-B-5/2021-03(01)/2020 दिनांक 28.01.2022 (संलग्नक-3) के अनुसार संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितों द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कक्षा-1 से कक्षा-9 तक के सभी विद्यालयों में अग्रिम आदेशों तक ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी एवं भौतिक रूप से कक्षाएं (Physical Classes) बन्द रहेंगे।
13. भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
14. शासकीय कार्यालय एवं विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी आदेश संख्या-18/XXXI(15)G/22-04(सा0)/2020 दिनांक 13 जनवरी, 2022 का सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा अनुपालन किया जायेगा (संलग्नक-4)।
15. **COVID Appropriate Behaviour/Sanitization:** देश भर में 'Omicron' के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मण्डी, शॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

16. IEC Activities: कोविड-19 के New Variant 'Omicron' से बचाव हेतु प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जायेगा।

17. Vaccination: राज्य में सभी पात्र व्यक्तियों का Covid Vaccination-Double Dose को शत प्रतिशत आच्छादित करने की कार्यवाही की जायेगी।

18. General Directives for COVID-19 Management :

राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर धूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।

19. कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा :

निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की सलाह दी जाती है :-

- 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।
- Persons with co-morbidities.
- गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं।
- 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

20. दंड के प्रावधान :

- COVID-Curfew का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उक्त आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2022 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी होंगे।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी, IAS)

अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा. आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वासि मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद्), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
8. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,



(जितेन्द्र कुमार सोनकर)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन)

99

(संलग्नक-1)

1A. समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) यथावत संचालित (24X7) रहेगी जैसे:

- i. चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं टेलीमेडिसिन सेवायें।
- ii. डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, फार्मसी, जन औषधि केंद्र सहित समस्त दवाओं की दुकानें ऑप्टिकल शॉप और मेडिकल उपकरण की दुकानें।
- iii. चिकित्सा प्रयोगशालाएं और सैंपल संग्रह केंद्र (Collection Centers)।
- iv. फार्मास्यूटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब, COVID-19 संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान।
- v. पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति।
- vi. COVID-19 के संक्रमण रोकने हेतु अस्पतालों तथा आवश्यक सेवाओं के सुविधा प्रदान करने वाले अधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जिनमें होम केयर प्रोवाइडर, डायग्नोस्टिक्स, सप्लाय वेन फर्म्स आदि शामिल हैं।
- vii. दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा ऑक्सीजन के निर्माण संस्थान तथा उनकी पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयाँ।
- viii. एंबुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सा/स्वास्थ्य सम्बन्धित बुनियादी ढांचे के निर्माण संस्थान।

1B. निम्नलिखित Public Utilities यथावत संचालित रहेंगे (24X7):

- i. तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे-पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रस्तोई गैस आदि।
- ii. राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण।
- iii. डाकघरों सहित डाक सेवाएं।
- iv. राज्य में नगरपालिका/स्थानीय निकाय स्तरों पर जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन।
- v. टेलीकॉम टावरों के रख-रखाव और प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधाओं सहित दूरसंचार, डीटीएच और इंटरनेट सेवाएं प्रदाता आदि जनसुविधाओं हेतु कर्मचारियों एवं वाहनों का आवागमन।
- vi. COVID curfew सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलेक्ट्रिशियन/प्लम्बर को अपने व्यावसायिक कार्यों हेतु आवागमन में छूट रहेगी।

1C. निम्नलिखित गतिविधियां दैनिक रूप (24X7) में अनुमत्य है:

- i. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर-राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है।
- ii. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी/होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कंपनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।
- iii. खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।
- iv. प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया।
- v. दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं/डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।
- vi. पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।
- vii. बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयों और सेवाएं।
- viii. कोल्ड स्टोरेज और वैयर हाउसिंग सेवाएं।
- ix. कार्यालय और आवासीय परिसरों के रख-रखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं।
- x. ऑटो-मोबाइल मरम्मत की दुकानें।
- xi. क्वारंटाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु चिन्हित किए गए प्रतिष्ठान।

उपरोक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी।

1D. परिवहन :

- i. सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से (Intra-state and Inter-state) आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एसओपीओ के अधीन जारी रहेगा।
- ii. विक्रम, ऑटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारु रूप से चलाने की अनुमति है।
- iii. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी Armed Forces (Army and CPMF) के अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT) की आवश्यकता नहीं होगी। उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

- iv. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने/उतारने की (24x7) अनुमति है।
- v. सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर/रिटलेर दुकानों को गोदामों में सामान की लोड करने/उतारने की दैनिक रूप से (24x7) अनुमति है।
- vi. अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने संगठनों/संस्थानों द्वारा जारी किए गए वैध आईडी कार्ड के साथ कार्यस्थल पर आने और वापस जाने हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत (24x7) अनुमति है।
- vii. रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों/टैक्सियों/ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज/टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति (24x7) दी जाएगी।
- viii. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ SOPs और COVID प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति (24x7) होगी।
- ix. आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और COVID-19 प्रबंधन में शामिल सरकार/स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी कर्मियों एवं वर्णित संगठन के वाहनों को चलने की अनुमति (24x7) होगी।
- x. सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर्राज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति (24x7) है।
- xi. सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति (24x7) है।
- xii. निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति (24x7) है।

1E. समस्त कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं संबंधित गतिविधियां पूरी तरह से निम्नानुसार संचालित रहेगी (24x7) :

- i. किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा कृषि कार्य:- बुवाई, नर्सरी की तैयारी, भूमि की तैयारी, सिंचाई, रोपण, कटाई, थ्रेसिंग, प्रसंस्करण (Processing) और पैकिंग-आदि।
- ii. कृषि/बागवानी/फ्लोरिकल्चर से संबंधित अन्य गतिविधियां जैसे-खरीद, वितरण, पैकेजिंग, वेयरहाउस, मंडियां, कोल्ड स्टोरेज, कृषि मशीनरी और उसके स्पेयर पार्ट्स, उर्वरक, कीटनाशक आदि से सम्बंधित दुकानें।
- iii. दुग्ध प्रसंस्करण (Processing) संयंत्रों द्वारा परिवहन और आपूर्ति शृंखला सहित दूध और दुग्ध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री।
- iv. पोल्ट्री फार्म, मत्स्य पालन और हैचरी सहित पशुपालन फार्मों के संचालन संबंधी गतिविधियां।

1F. सरकारी और निजी उद्योग/औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालन (24x7) के संबंध में :

- i. All Industries in both urban and rural areas shall operate with strict adherence to SOPs and Covid-19 safety protocol.
- ii. जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में SOP का सख्ती से पालन किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई/कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएंगे।

1G. सरकारी और निजी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की अनुमति (24x7) होगी :

- i. सभी निर्माण गतिविधियाँ तथा उनमें कार्यरत वाहन/मजदूरों की आवाजाही को स्थानीय पुलिस/प्रशासन द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

40

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन)

ELECTION COMMISSION OF INDIA*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001*

No. ECI/PN/14/2022

Dated: January 31, 2022

PRESS NOTE

ECI extends ban on road shows, Pad-yatras, cycle/bike/vehicle rallies and processions till February 11, 2022

Relaxation in numbers permitted for Physical public meetings, indoor meetings and door to door campaigning

Precautions to be continued to be observed to avoid spurt in infections

Chief Election Commissioner Shri Sushil Chandra along with Election Commissioners Shri Rajiv Kumar and Shri Anup Chandra Pandey today held another comprehensive review of the present situation of Covid 19 infection particularly in the states of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh. The Commission accompanied by Secretary General and concerned Deputy Election Commissioners, met with the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India and the Chief Secretaries, the Chief Electoral Officers of the five Poll Going States through virtual mode to assess the present status and projected trends of COVID pandemic. In depth discussions were also held with respect to current Vaccination status of 1st, 2nd doses for eligible persons in the respective States as also arrangements for polling personnel.

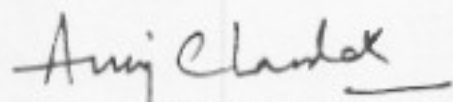
All the State Chief secretaries informed the Commission about reports of Covid 19 infection either plateauing out or tapering as on date. They also said that the positivity rate is showing a decline with the number of hospitalisation cases also registering a declining trend. The State officers however said that covid protocol precautions need to be continued to be observed so that no undue

spurt takes place due to intense public contact because of heightened political activity. Chief Election Commissioner Sh Sushil Chandra also emphasised that while deliberating on relaxation of restrictions for physical rallies, indoor/outdoor meetings, door to door campaigning, practicality of implementation of orders by field level functionaries should be ensured in the wake of prevailing situation.

After taking into consideration inputs, facts and circumstances and ground reports from State officers and Secretary Health, GOI as also the requirements of necessary political activity in election mode by political parties in present situation, the Commission has decided as follows:

1. No road shows, Pad-yatras, cycle/bike/vehicle rallies and processions shall be allowed till February 11, 2022.
2. Commission has now decided to allow physical public meetings of Political parties or contesting candidates in designated open spaces with a maximum of 1000 persons (instead of existing 500 persons) or 50% of the capacity of the ground or the prescribed limit set by SDMA, whichever number is lesser, from February 1, 2022 for all phases.
3. The Commission has also enhanced the limit for door to door campaigns. Instead of 10 persons, now 20 persons, excluding security personnel, will be allowed for door to door campaigns. Other instructions on door to door campaigns will continue.
4. The Commission has now granted relaxation for the political parties to the extent that indoor meetings of a maximum of 500 persons (instead of existing 300 persons) or 50% of the capacity of the hall or the prescribed limit set by SDMA is allowed.
5. Political parties and contesting candidates shall ensure the compliance of COVID appropriate behaviour & guidelines and Model Code of Conduct at all occasions during the activities connected with elections.

- 105
6. It shall be the responsibility of the DEO concerned to identify and to notify the designated spaces in advance for the aforesaid purposes.
 7. All remaining restrictions as contained in the Revised Broad Guidelines for Conduct of Elections, 2022 issued on 8 January 2022 shall continue to operate.


Anuj Chandak
Joint Director (Media)

संख्या: 27/XXIV-B-5/2021-03(01)2020

प्रेषक,

जे०एल० शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5

देहरादून: दिनांक: 28 जनवरी, 2022

विषय:- कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के कक्षा कक्षा 10, 11 एवं 12 के विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन-पाठन पुनः प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 17/XXIV-B-5/2021-03(01)2020 दिनांक 16 जनवरी, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोविड-19 के New Variant "Omicron" के संक्रमण के दृष्टिगत राज्य के अन्तर्गत संचालित कक्षा-12 तक की सभी शिक्षण संस्थानों (शासकीय/अशासकीय(सहायता प्राप्त)/निजी शिक्षण संस्थान) के भौतिक रूप से संचालन अग्रेत्तर आदेशों तक बंद करते हुये ऑनलाईन माध्यम से शिक्षण कार्य सम्पादित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेश संख्या 946/USDMA/792(2020)rc-2 दिनांक 27 जनवरी, 2022 के क्रम में राज्य के अन्तर्गत संचालित शिक्षण संस्थानों (शासकीय/अशासकीय(सहायता प्राप्त)/निजी शिक्षण संस्थान) में कक्षा 10, 11 एवं 12 की कक्षाओं को दिनांक 31 जनवरी, 2022 से भौतिक रूप से संचालित करते हुये शिक्षण कार्य सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें तथा कक्षा 01 से 09 तक की कक्षाओं का भौतिक संचालन पूर्व की भाँति बंद रखते हुये अग्रेत्तर आदेशों तक ऑनलाईन माध्यम से शिक्षण कार्य सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में पूर्व में विद्यालयों के संचालन हेतु शासनादेश संख्या 463/XXIV-B-5/2020-3(1)2020 दिनांक 24 अक्टूबर, 2020 तथा समय-समय पर यथा संशोधित आदेशों द्वारा निर्गत Standard Operating Procedure(SOP) का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

मुख्य सचिव,

(जे०एल० शर्मा)

संयुक्त सचिव।

संख्या-27 (1)/XXIV-B-5/2021-03(1)2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।

2. निजी सचिव, मा० मंत्री विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

3. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

A. D. Sharma

4. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. स्टॉफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त उपसचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, माध्यमिक/बेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।
9. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ननूरखेडा देहरादून।
11. सचिव, विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर बोर्ड, नैनीताल।
12. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड।
13. महानिदेशक, लोक सूचना एवं सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
14. सचिव, सी०बी०एस०ई० बोर्ड, नई दिल्ली।
15. सचिव, आई०सी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली।
16. उपायुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सालावाला, हाथीबडकला, देहरादून।
17. क्षेत्रीय अधिकारी, सी०बी०एस०ई० कौलागढ रोड, देहरादून।
18. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
19. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
20. विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से

(जे०एल० शर्मा)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक

संख्या-19 / XXXI(15)G / 22-04(सा0) / 2020

विनोद कुमार सुमन
सचिव (प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

1. समस्त अघर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त, मन्दावी एवं कुमाऊँ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून: दिनांक 13 जनवरी, 2022

विषय:- कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्मिकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान में कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते हुए संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए इसकी रोकथाम एवं प्रभाव सुनिश्चित किये जाने हेतु अग्रिम आदेशों तक निम्न व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी:-

1. ऐसी महिला कार्मिक, जो गर्भावस्था में हों अथवा 58 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे कार्मिक, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, घर से ही (Work from Home) कार्य करेंगे। इनको अपरिहार्य परिस्थिति में ही कार्यालय बुलाया जा सकेगा।
2. राज्य के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों (Essential Service में कार्यरत एवं अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) को कार्यालय में उपस्थिति से कार्यालयाध्यक्ष द्वारा छूट दी जा सकती है।
3. शासकीय हित में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्मिक को कार्यालय में बुलाया जा सकेगा।
4. जो कार्मिक विधान सभा सामान्य निर्वाचन की ड्यूटी में लगाये गये हैं अथवा जो कार्मिक आवश्यक सेवाओं के निर्वहन में ड्यूटी पर तैनात हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। निर्वाचन ड्यूटी में लगाये गये कार्मिकों के बारे में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तथा आवश्यक सेवाओं के निर्वहन में ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों के बारे में उनके विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जनहित में अपने विवेक से समुचित निर्णय लिया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय

17/1/2022

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या- /xxxi(15)G / 22-04(सा0) / 2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड को मा. मंत्रीगण महोदय के सज्जानार्थ
5. स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)।